International Journal of
Global Multidisciplinary Research and Analytics
IJGMRA | ISSN (Online): 3107-6483
July-September 2025 | Vol. 01 | Issue 2
Website: www.thearyapublication.com

# आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

**वंदना विश्वकर्मा[1] & प्रोफेसर मीरा पाल[2]**

[1]शोधार्थी, उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, भारत
ई-मेल: vandna10688@gmail.com
[2]प्रोफेसर, उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17313626
Accepted on: 20/09/2025 Published on: 10/10/2025

**सारांश:**

*प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का मूल्यांकन करना था। यह अध्ययन वाराणसी जिले के काशी विद्यापीठ ब्लॉक में वर्ष 2022-2024 के मध्य संपन्न किया गया। अध्ययन में कुल 467 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मिलित किया गया जिनसे बहुस्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए। स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति वितरण एवं प्रतिशत विधि से किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ स्नातक (40.7%) तथा इंटरमीडिएट (26.8%) शिक्षित थीं। चयन प्रक्रिया मुख्यतः औपचारिक (42.8%) तथा ज्ञान आधारित (43.9%) पाई गई। प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 91.2 रहा। कार्यकाल के दौरान भी कार्यस्थल पर सीखने (37.5%), विशेष प्रशिक्षण (26.3%), पुनःप्रशिक्षण (29.8%) तथा अग्रिम प्रशिक्षण (6.4%) की व्यवस्था प्रभावी रही। लगभग 71.1% कार्यकर्त्रियों ने प्रशिक्षण को पर्याप्त बताया। समस्या समाधान में 91.2% कार्यकर्त्रियाँ मुख्य सेविका से संपर्क करती हैं और 65.3% समस्याएँ स्थल पर ही सुलझा ली जाती हैं। सामुदायिक गतिविधियों में 95.5% कार्यकर्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही तथा 98.5% ने समय पर रजिस्टर संधारित किए। निष्कर्षतः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ अपने दायित्वों का संतोषजनक निर्वहन कर रही हैं, यद्यपि प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा समस्याओं के त्वरित समाधान में सुधार की आवश्यकता है।*

**मुख्य शब्द:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रशिक्षण व्यवस्था, समेकित बाल विकास सेवा योजना, कार्यकुशलता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

**प्रस्तावना:**

भारत में कुपोषण निरंतर राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्न लक्षित कार्यक्रम समुदाय तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रहे थे। 1971 तक सीमित साधनों के कारण बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, जिस कारण किसी भी समन्वित नीति का विकास नहीं हो सका था। परंतु धीरे-धीरे यह धारणा बनती गई कि अब बाल विकास की समस्याओं को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS) की शुरुआत की। इस योजना में माताओं एवं बच्चों को सर्वोपरि रखा गया। समेकित बाल विकास सेवा योजना के प्रमुख उद्देश्य शून्य से छह वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्युदर, रुग्णता, कुपोषण एवं विद्यालय त्यागने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य नीति एवं कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषणीय आवश्यकताओं की देखभाल हेतु माताओं का क्षमतावर्धन करना रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेकित बाल विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कार्यक्रम एवं लाभार्थियों को एक दूसरे से जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-V) के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन, कम वजन एवं दुर्बलता की व्यापकता क्रमशः 41.3%, 17.0% और 33.1% थी, जिसमें 7.1% गंभीर रूप से कमजोर बच्चे थे। इसलिए सरकार द्वारा चलाई गई सेवाओं को सफल बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे केवल स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के साथ-साथ इतनी सक्षम हो जाएं कि स्वयं स्थितियां गढ़ने और हर समय रचनात्मक ढंग से काम कर सकें।

प्रशिक्षण के तरीके और उसकी विषयवस्तु में बदलाव को 'उदिशा' का नाम दिया गया है, जो ICDS प्रशिक्षण की कुंजी है। उदिशा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'नव प्रभात' है। इस रणनीति में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास की शुरुआत कार्यकर्ताओं से होती है ताकि समेकित बाल विकास सेवा योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। ICDS

द्वारा समस्त प्रशिक्षण 'उदिशा' के अंतर्गत संचालित होते हैं जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

**संबंधित साहित्य की समीक्षा:**

एन. सुजाता एवं अन्य (2020) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय स्थिति एवं उनकी समस्याओं का आकलन किया। इनके अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 50.5% ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किया। 60% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास 10 वर्ष से कम कार्य अनुभव था तथा 47% को ही नियमित रूप से मानदेय मिलता था। इनके द्वारा बताए गए आंकड़ों के आधार पर प्रशिक्षण की कमी एवं समय पर मानदेय देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जेना रेबेका एवं अन्य (2018) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। इनके अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि 44% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वार्षिक आय 40,000 रुपये से कम थी, 91% ने पोषण प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि 87% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन अभी भी प्रशिक्षण एवं मानदेय वृद्धि की आवश्यकता है। शर्मा शिवानी (2017) ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर अध्ययन किया। इनके आंकड़े बताते हैं कि 65% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं 35% ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि अभी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी हुई है। उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का नियमित आकलन आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का विश्लेषणात्मक आकलन करने के लिए किया गया है।

**अध्ययन के उद्देश्य:**

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की शैक्षिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्राप्त प्रशिक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता के प्रति कार्यकर्त्रियों की राय जानना।
- समस्या समाधान की प्रक्रिया एवं प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन का आकलन करना।

**शोध प्रविधि:**

यह अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रकृति का है जो वाराणसी जिले के काशी विद्यापीठ ब्लॉक में वर्ष 2022-2024 के मध्य संपन्न किया गया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक ICDS के अंतर्गत शिवदासपुर में स्थित है।

**प्रतिदर्श का चयन:** प्रस्तुत अध्ययन में बहुस्तरीय प्रतिदर्शन विधि अपनाई गई। सर्वप्रथम वाराणसी जिले से उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा काशी विद्यापीठ ब्लॉक का चयन किया गया। तत्पश्चात यादृच्छिक विधि से 574 आंगनवाड़ी केंद्रों में से प्रत्येक केंद्र से एक-एक कार्यकर्ता का चयन किया गया। अंततः 467 कार्यकर्त्रियों से पूर्ण एवं उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकीं, जिन्हें अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

**शोध उपकरण:** आंकड़ों के संकलन हेतु स्व-निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इस अनुसूची में कार्यकर्त्रियों की शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, समस्या समाधान की प्रक्रिया, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, रजिस्टर एवं रिपोर्ट संधारण तथा प्रशासनिक मार्गदर्शन से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए।

**आंकड़ों का संकलन:** आंकड़ों के संकलन हेतु शोधकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया तथा कार्यकर्त्रियों से साक्षात्कार के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कीं।

**आंकड़ों का विश्लेषण:** संकलित आंकड़ों को संकलित एवं सारणीबद्ध किया गया। विश्लेषण हेतु आवृत्ति वितरण एवं प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया।

**परिणाम एवं विवेचन:**

**शैक्षिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया:**

तालिका 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित 467 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में से केवल 14.1% (66) हाईस्कूल स्तर तक, 26.8% (125) इंटरमीडिएट, 40.7% (190) स्नातक तथा 18.4% (86) परास्नातक स्तर तक शिक्षित थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ स्नातक स्तर तक शिक्षित हैं, जो उनकी कार्यक्षमता के लिए अनुकूल है।

**तालिका 1: शैक्षिक योग्यता**

| शिक्षा स्तर | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| हाई स्कूल | 66 | 14.1 |
| इंटरमीडिएट | 125 | 26.8 |
| स्नातक | 190 | 40.7 |
| परास्नातक | 86 | 18.4 |
| **कुल** | **467** | **100** |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

तालिका 2 के अनुसार 42.8% (200) कार्यकर्त्रियों का चयन औपचारिक प्रक्रिया से, 10.5% (49) का अनौपचारिक प्रक्रिया से, 43.9% (205) का ज्ञान/योग्यता के आधार पर तथा 2.8% (13) का चयन अन्य माध्यमों से हुआ। यह दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया मुख्यतः औपचारिक एवं योग्यता आधारित है। प्रारंभिक प्रशिक्षण के संदर्भ में 91.2% (426) कार्यकर्त्रियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि 8.8% (41) को यह अवसर नहीं मिला। यह इंगित करता है कि अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ कार्यारंभ से पूर्व प्रशिक्षित हैं।

**तालिका 2: चयन प्रक्रिया एवं प्रारंभिक प्रशिक्षण**

| विवरण | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| औपचारिक चयन | 200 | 42.8 |
| अनौपचारिक चयन | 49 | 10.5 |
| ज्ञान/योग्यता | 205 | 43.9 |
| अन्य | 13 | 2.8 |
| प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त | 426 | 91.2 |
| प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं | 41 | 8.8 |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

**सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था**:

तालिका 3 से ज्ञात होता है कि कार्यकाल के दौरान 37.5% (175) कार्यकर्त्रियाँ कार्यस्थल पर सीखते हुए प्रशिक्षित हुईं, 26.3% (123) ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, 29.8% (139) को पुनःप्रशिक्षण तथा 6.4% (30) को अग्रिम प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कार्यकर्त्रियों को समय-समय पर विविध प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं, जो उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं।

**तालिका 3: सेवाकालीन प्रशिक्षण**

| प्रशिक्षण प्रकार | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| कार्यस्थल पर | 175 | 37.5 |
| विशेष प्रशिक्षण | 123 | 26.3 |
| पुनःप्रशिक्षण | 139 | 29.8 |
| अग्रिम प्रशिक्षण | 30 | 6.4 |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

**प्रशिक्षण की गुणवत्ता:**

तालिका 4 के अनुसार 71.1% (332) कार्यकर्त्रियों ने प्रशिक्षण को पर्याप्त बताया, 11.6% (54) ने अपर्याप्त, 1.9% (9) ने अल्प तथा 15.4% (72) ने विस्तृत माना। यह इंगित करता है कि अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं, परंतु लगभग 13.5% कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण अपर्याप्त या अल्प प्रतीत हुआ, जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं व्यापकता में सुधार की आवश्यकता दर्शाता है।

**तालिका 4: प्रशिक्षण के प्रति राय**

| राय | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| पर्याप्त | 332 | 71.1 |
| अपर्याप्त | 54 | 11.6 |
| अल्प | 9 | 1.9 |
| विस्तृत | 72 | 15.4 |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

**समस्या समाधान की प्रक्रिया:**

तालिका 5 दर्शाती है कि 91.2% (426) कार्यकर्त्रियाँ अपनी समस्याओं की शिकायत सर्वप्रथम मुख्य सेविका तक पहुंचाती हैं, जबकि 3.0% (14) CDPO, 2.6% (12) जिला समिति तथा 3.2% (15) महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत करती हैं। समस्याओं के समाधान का समय भी भिन्न-भिन्न पाया गया। लगभग 65.3% (305) समस्याएं स्थल पर ही सुलझा ली जाती हैं, 18.4% (86) में एक सप्ताह, 11.6% (54) में एक माह तथा 4.7% (22) में दो माह से अधिक समय लगता है। यह दर्शाता है कि अधिकांश समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है, परंतु कुछ मामलों में विलंब होता है।

**तालिका 5: समस्या शिकायत एवं समाधान**

| विवरण | संख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| मुख्य सेविका को शिकायत | 426 | 91.2 |
| CDPO को शिकायत | 14 | 3.0 |
| जिला समिति को शिकायत | 12 | 2.6 |
| महिला एवं बाल विकास | 15 | 3.2 |
| समाधान स्थल पर | 305 | 65.3 |
| 1 सप्ताह | 86 | 18.4 |
| 1 माह | 54 | 11.6 |
| 2 माह से अधिक | 22 | 4.7 |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

**प्रशासनिक एवं सामुदायिक गतिविधियां:**

तालिका 6 के अनुसार 95.5% कार्यकर्त्रियाँ सामुदायिक निरीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। सेवाओं के निरीक्षण के अनुभव को 42.0% ने संतोषजनक बताया जबकि 1.5% ने असंतोष व्यक्त किया और शेष ने आंशिक संतोष प्रकट किया। प्रशासनिक कार्यों में 98.5% कार्यकर्त्रियाँ समय पर रजिस्टर तैयार करती हैं, 99.4% आवश्यक रिपोर्ट

समय पर प्रस्तुत करती हैं तथा 99.1% वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं। यह आंकड़े कार्यकर्त्रियों की कार्यनिष्ठा एवं जिम्मेदारी का प्रमाण हैं।

**तालिका 6: प्रशासनिक एवं सामुदायिक भागीदारी**

| विवरण | हाँ (%) | नहीं (%) |
|---|---|---|
| सामुदायिक निरीक्षण में भाग | 95.5 | 4.5 |
| सेवाओं के निरीक्षण का अनुभव संतोषजनक | 42.0 | 1.5 (शेष आंशिक) |
| रजिस्टर समय पर तैयार | 98.5 | 1.5 |
| आवश्यक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत | 99.4 | 0.6 |
| वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त | 99.1 | 0.9 |

स्रोत: शोधार्थी द्वारा निर्मित

**निष्कर्ष:**

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कार्य निष्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं, जो उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि की मजबूती को दर्शाता है। चयन प्रक्रिया मुख्यतः औपचारिक एवं योग्यता आधारित है, जो पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का संकेत देती है। प्रशिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में यह पाया गया कि लगभग सभी कार्यकर्त्रियों ने प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा सेवाकाल के दौरान भी उन्हें कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पुनःप्रशिक्षण एवं अग्रिम प्रशिक्षण के अवसर मिलते रहते हैं। यह व्यवस्था उनके ज्ञान एवं कौशल के निरंतर विकास में सहायक है। यद्यपि अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ प्रशिक्षण को पर्याप्त मानती हैं, फिर भी लगभग 13.5% कार्यकर्त्रियों ने इसे अपर्याप्त या अल्प बताया है, जो यह इंगित करता है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, विषयवस्तु एवं अवधि में सुधार की आवश्यकता है। समस्या समाधान की प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रभावी पाई गई। अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ अपनी समस्याओं को सर्वप्रथम मुख्य सेविका तक पहुंचाती हैं और लगभग दो-तिहाई समस्याओं का समाधान स्थल पर ही हो जाता है। यह स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान की कुशलता को दर्शाता है। परंतु कुछ मामलों में समाधान में विलंब होता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता

है। सामुदायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों में कार्यकर्त्रियों की सक्रिय भागीदारी उत्साहवर्धक है। लगभग सभी कार्यकर्त्रियाँ समय पर रजिस्टर संधारित करती हैं, आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं। यह उनकी कार्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जिम्मेदारी का प्रमाण है।

**सुझाव:**

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

- प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं व्यापकता में सुधार लाया जाए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक एवं कार्यक्षेत्र से संबंधित बनाया जाए।
- जिन कार्यकर्त्रियों ने प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- समस्या समाधान की प्रक्रिया को और अधिक त्वरित एवं प्रभावी बनाया जाए तथा विलंब के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए।
- सामुदायिक निरीक्षण के अनुभवों को और अधिक संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
- कार्यकर्त्रियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान एवं डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- प्रशासनिक स्तर पर कार्यकर्त्रियों के प्रति सहयोगात्मक एवं प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

**अध्ययन की सीमाएं:**

प्रस्तुत अध्ययन केवल वाराणसी जिले के काशी विद्यापीठ ब्लॉक तक सीमित है, अतः इसके निष्कर्षों का सामान्यीकरण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के अध्ययन अन्य जिलों एवं राज्यों में भी किए जा सकते हैं तथा तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।

**संदर्भ:**

- अग्रवाल, स. (2017). *बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम*. आगरा: स्टार पब्लिकेशन्स.
- जेना, पी. (2013). समेकित बाल विकास सेवाओं के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ज्ञान: उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के शहरी ब्लॉक का एक अध्ययन [लघु शोध प्रबंध, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय, प्रौद्योगिकी संस्थान, ओडिशा].

- जोशी, के. (2018). आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ज्ञान एवं ग्रामीण ICDS ब्लॉक में उनकी समस्याएं. *आई.पी. जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नर्सिंग साइंस*, *12*(2), 45–52.
- ज्योति, एच. पी., & उम्मे, एच. (2021). आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT), *9*(1), 120–128.
- सुरेश, डी., & शरीफा, बी. (2020). आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्यभार एवं समस्याएं – एक अध्ययन. एस.पी.डब्ल्यू.आई. जर्नल फॉर सोशल वेलफेयर, *3*(1), 33–40.
- निकुंज, एन. (2020). ग्रामीण एवं शहरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल, समस्याएं एवं पोषण संबंधी ज्ञान का आकलन [पीएच.डी. शोध प्रबंध]. http://hdl.handle.net/10603/406823
- पटेल, के., नगर, के., & जैन, वी. (2013). आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं उनके प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर मिश्रित पद्धति से किया गया अध्ययन. जर्नल ऑफ एडवांस्ड जूलॉजी, *34*(2), 210–218.
- पटेल, के., नगर, के., & जैन, वी. (2023). खेड़ा जिले, गुजरात की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर मिश्रित पद्धति अध्ययन. जर्नल ऑफ एडवांस्ड जूलॉजी, *44*(1), 112–121.
- राज, एट अल. (2021). आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना ताकि माताओं का ज्ञान तथा बच्चों की नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े. *जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन हेल्थकेयर*, 7, 85–94.
- राजपाल, एन. (2017). *आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा*. स्टार पब्लिकेशन्स.
- रेड्डी, आर. आर. (2017). शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं की समस्याएं – हनमकोंडा का एक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च*, *12*(12), 77–88.
- संध्या रानी, एम. सी., & कुशाराव, एस. (2013). मैसूर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी*, *2*(6), 1277–1296.
- सोनी, ए., शाह, एस., पटेल, एम., & कारमर, के. सी. (2023). भारत के पश्चिमी भाग के एक जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन. *जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर*, *20*(10), 2255–2259.
- उत्तर प्रदेश सरकार, आईसीडीएस निदेशालय. (2005). *आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु कार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं संदर्भ पुस्तिका (खंड 1)*.
- विनोद, यू., विनुदता, कुमार, अ., स्वप्ना, ब., बुदिमिल्ली, क., चेब्रोलु, सी., गणपति, स., नरेश, जे.,& सुरेंद्रबाबू, आर. (2019). मंगलगिरी ग्रामीण ICDS में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ज्ञान एवं सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफाइल. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ*, *6*(8), 3400–3465.